

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

**संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (185).**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 7843 ( भाग 1 ) : 1987 जल आपूर्ति के लिए विलयक सीमेंट जोड़ो में प्रयुक्त अन्तः क्षेपण संचकित पी वी सी सॉकेट फिटिंग की विशिष्टि : भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
2	आई एस 9271 : 2004 निकास के लिए असुघटित पोलिविनाइल क्लोराइड एकल दीवार वाले नालीदार पाइपें — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 3 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
3	आई एस 10124 ( भाग 1 ) : 2009 पेय जल आपूर्ति के लिए सविरंचित पी वी सी - यू फिटिंगें विशिष्टि : भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
4	आई एस 12231 : 1987 कृषि पंप सेटों के खिंचाव एवं वितरण लाइनों के लिए अनम्यकृत पी. वी. सी. पाइप की विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
5	आई एस IS 12818 : 2010 बोर/नलकूपों के लिए अनम्यकृत पी वी सी जाली और आवरक पाइप – विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 3 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
6	आई एस 13592 : 2013 संवातन और वर्षा जल-संग्रहण के तंत्र सहित भवनों के अंदर व बाहर की मिट्टी तथा अपशिष्ट निरावेशन तंत्र के लिए अनम्यकृत पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी-यु) पाइपें — विशिष्टि	संशोधन संख्या 2 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(पहला पुनरीक्षण)			
7	आई एस 13593 : 1992 कृषि पम्पों के चूषण एवं वितरण लाइनों में यू. पी. वी. सी. पाइप फिटिंग - विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
8	आई एस 14735 : 1999 इमारतों के भीतर एवं बाहर संवातन और वर्षा के पानी के साथ मल एवं अपशिष्ट विसर्जन के लिए अनम्यकृत पॉलीविनाइल क्लोराइड (यू. पी. वी. सी.) अन्तः क्षेपण संचकित फिटिंग्स — विशिष्टि	संशोधन संख्या 4 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
9	आई एस 15265 : 2003 कृषि पंपों की चूषण और वितरण लाइनों के लिए पौलिमर प्रबलित ताप सुघट्ट अथवा नम्य पी. वी. सी. पाइप – विशिष्टि	संशोधन संख्या 2 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
10	आई एस 15328 : 2003 दाब-रहित भूमिगत जल निकास एवं भवनों के बाहर मल-जल व्यवस्था में प्रयुक्त अप्लास्टिकत पॉलीविनायल क्लोराइड (पी. वी. सी. - यू.) पाइप — विशिष्टि	संशोधन संख्या 7 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
11	आई एस 15778 : 2007 तप्त और अतप्त पेय जल वितरण व्यवस्था के लिए क्लोरीनकृत पॉलीविनायल क्लोराइड (सी. पी. वी. सी.) पाइप — विशिष्टि	संशोधन संख्या 4 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021
12	आई एस 16098 (भाग 1) : 2013 गैर- दबाव जल निकासी और सीवरेज के लिए संचरित- दीवार प्लास्टिक पाइपिंग पद्धतियाँ — विशिष्टि: भाग 1 चिकनी बाहरी सतह के साथ पाइप	संशोधन संख्या 2 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	और फ्रिटिंगें, टाइप ए' की			
13	आई एस 16647:2017 जल की आपूर्ति के लिए उन्मुख असुघटित पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी-ओ) पाइप — विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 जून 2021	22 जून 2021	30 सितम्बर 2021

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवान, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्ची, विशाखापटनम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं. भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./122/2021-22]

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2021

**Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (185).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

#### SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 7834 (Part 1) : 1987 Specification for Injection Moulded PVC Socket Fittings with Solvent Cement Joints for Water Supplies Part 1 General Requirements (First Revision)	Amendment No. 1 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
2	IS 9271 : 2004 Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) Single Wall Corrugated Pipes for Drainage — Specification (First Revision)	Amendment No. 3 June 2021	22 June 2021	30 September 2021

3	IS 10124 (Part 1) : 2009 Fabricated PVC-U Fittings for Potable Water Supplies — Specification Part 1 General Requirements (Second Revision)	Amendment No. 2 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
4	IS 12231 : 1987 Specification for Unplasticized PVC Pipes for Use in Suction and Delivery Lines of Agricultural Pump Sets	Amendment No. 1 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
5	IS 12818 : 2010 Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Screen and Casing Pipes for Bore/Tubewells — Specification (Second Revision)	Amendment No. 3 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
6	IS 13592 : 2013 Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Pipes for Soil and Waste Discharge System for Inside and Outside Buildings Including Ventilation and Rain Water System — Specification (First Revision)	Amendment No. 2 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
7	IS 13593 : 1992 UPVC Pipe Fittings for Use with UPVC Pipes in the Suction and Delivery Lines of Agricultural Pumps — Specification	Amendment No. 1 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
8	IS 14735 : 1999 Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) Injection Moulded Fittings for Soil and Waste Discharge System for Inside and Outside Buildings Including Ventilation and Rain Water System — Specification	Amendment No. 4 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
9	IS 15265 : 2003 Flexible PVC Pipes or Polymer Reinforced Thermoplastic Hoses for Suction and Delivery Lines of Agricultural Pumps — Specification	Amendment No. 2 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
10	IS 15328 : 2003 Unplasticized Non-Pressure Polyvinyl Chloride (PVC-U) Pipes for Use in Underground Drainage and Sewerage Systems — Specification	Amendment No. 7 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
11	IS 15778 : 2007 Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipes	Amendment No. 4	22 June 2021	30 September 2021

	for Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies — Specification	June 2021		
12	IS 16098 (Part 1) : 2013 Structured-Wall Plastics Piping Systems for Non-Pressure Drainage and Sewerage — Specification Part1 Pipes and Fittings with Smooth External Surface, Type A	Amendment No. 2 June 2021	22 June 2021	30 September 2021
13	IS 16647 : 2017 Oriented Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pipes for Water Supply — Specification	Amendment No. 1 June 2021	22 June 2021	30 September 2021

Copies of these amendments to standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./122/2021-22]

### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

**सन्दर्भ : HQPUB015/1/2020-PUB-BIS (186).**—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में दिनांक 30 मार्च 2021 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधनकर्ता है:

संदर्भ HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (150) दिनांक 23 मार्च 2021:

अनुसूची के क्रम संख्या (5), कालम (5) में – '22 अप्रैल 2021' को '15 दिसम्बर 2021' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./122/2021-22]

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st June, 2021

**Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (186).**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the specified NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 30 March in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

Extraordinary vide Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (150) dated 23 March 2021:

Sl. No. 5, column (5) of the schedule — Substitute '15 Dec 2021' for '22 Apr 2021'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./122/2021-22]